यालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 295/2020 जिला भीलवाड़ा

नानी बनाम सरकार

नानी पत्नि नोला धाकड़ निवासी मानपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंट

———————————————

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 18.12.2019, जो प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री जी0एस0 लखावत(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः—01.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 728/53 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी दिनांक 19.05.1989 को आवंटन कमिटी द्वारा अपीलांट के नाम आवंटित की गई। उक्त भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। तहसीलदार बिजौलिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट का आवंटित भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि बिलानाम दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 18.12.2019 के द्वारा तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1989 को खारिज कर दिया गया। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की गई—

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

1. अत्यधिक समय बितने के बाद उक्त आवंटन बिना वजह से निरस्त किया गया।

2. जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो पर विवेचन न करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

3. आवंटन नियमों में लगातार काश्त करने बाबत नियम 14(3) को विलोपित कर दिया गया है। विलोपित नियम के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। 2008 आरआरटी पेज 96 पर उपलब्ध विधिक दृष्टांत को नजरअंदाज करते हुए जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2019 निरस्त योग्य है।

4.अपीलांट महिला है तथा जीवनयापन का आधार यही वादग्रस्त भूमि है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जायें।

अपीलांट द्वारा अपील मीमौ के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपी प्रापत करने हेतु आवेदन दिनांक 03.01.2020 को किया गया। दिनांक 14.02.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई, उसके पश्चात अपील तैयार करवायी गई, देरी को क्षमा किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन इस आशय का पेश किया गया। जिसमें यह आशंका बताई गई कि बिलानाम सरकार दर्ज करवाकर भूमि को अन्य को आवटंन कर दी जायेगी तथा राजस्व रिकोर्ड में बदलाव कर लेगें। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2019 को स्थगित करते हुए मौके और रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट के धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट को दिनांक 14.02.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई है और उसके द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 04.03.2020 को अपील प्रस्तुत करना पाया गया। ऐसी अवस्था में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट द्वारा समयावधि में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील के निस्तारण के साथ ही किया जा रहा है।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपीलांट को दिनांक 19.05.1989 को 5 बीघा भूमि ग्राम मानपुरा में आवंटित होकर गैर खातेदारी में अपीलांट के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय में निरस्तीकरण बाबत प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया था। तहसीलदार बिजौलिया के आदेश पर दिनांक 15.05.2019 को पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनवाया गया था। दिनांक 15.05.2019 को गर्मी के मौसम के दौरान फसल नहीं हो सकती तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट छपे हुए प्रफोर्मा में तैयारी की हुई है। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। मौका पर्चा बनाने वाले पटवारी के बयान नहीं लिये गये। मौका पर्चा पर हस्ताक्षकर करने वाले लोग शंम्भूलाल व [illegible] कौन है यह स्पष्ट नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि कब्जे काश्त के अभाव में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ फ्रॉड तथ्यों के मिसरिप्रजेंटेशन प्राथमिकता में नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जाता सकता है। मंगला बनाम सरकार व तेजसिंह बनाम सरकार के न्यायिक विवरण यहां लागू होते है। अपील स्वीकार की जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट नानी बेवा नोला धाकड़ ग्राम थड़ोदा की रहने वाली है तथा इसे अन्य गांव मानपुरा में खसरा नम्बर 53 में 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। पूर्व में इसके पास 4 बीघा भूमि थी। जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार अपीलांट खसरा संख्या 728/53 रकबा 5 बीघा भूमि में गैर खातेदार है। गिरदावरी संवत 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट द्वारा कोई काश्त करना नहीं पाया पाया जाता है। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा आवंटन शर्तों की उल्लघंन पर भूमि पर काबिजकाश्त नहीं होने से आवंटन नियम 1970 के धारा 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 728/53 पर गैरखातेदार का कब्जाकाश्त नहीं है। पटवारी द्वारा मौका पर्चा दिनांक 13.05.2019 को बनाया हुआ है। उक्त मौका पर्चा पर भी अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं बताया है तथा शंम्भूलाल व रामलाल के हस्ताक्षर है। पटवारी का मौका पर्चा , पटवारी का आवंटन निरस्तीकरण प्रस्ताव तथा तहसीलदार का प्रस्ताव जो कि न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया गया है। वह एक टाइपशुदा फार्मेट के रूप में है जिसमें खाली जगहों पर लागू होने वाले एंट्री हो रही है। जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 2007(1) डब्ल्यू सी पेज 234 मंगला बनाम राजस्थान सरकार तथा 1994 एआईआर(एसएलडब्ल्यू) पेज 2560 तेजसिंह बनाम राजस्थान सरकार को वर्तमान अपीलाधीन प्रकरण में उस समय लागू नहीं होना मानते हुए यह माना गया है कि अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं किया जाना मानते हुए अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज कर दिया गया है।

अपीलांट द्वारा बहस के दौरान यह मुद्दे उठाये कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। रिकोर्ड छपे हुए परफोर्मा में है। मौका रिपोर्ट में जिन लोगो के हस्ताक्षर है वह कौन है यह सब बाते इम मेटेरियल है। अपीलांट को भूमि काश्त करने हेतु दी गई थी। वकील अपीलांट को यह चाहिए था कि वह आवंटन दिनांक के पश्चात खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करते जिससे अपीलांट के द्वारा काश्त किया हुआ होना जाहिर होता मगर ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। आवंटन आदेश की शर्तों से अपीलांट पाबंद है। उसे शर्तों की पालना करनी ही होगी। कृषि भूमि के अलावा अन्य भूमियों को भी सरकार द्वारा आवटंन किया जाता है। जिसमें भी आवंटन शर्तों की पालना न करने पर आवंटन निरस्त किया जाता है। न्यायालय अपीलाधीन आदेश में आवटंन निरस्तीकरण के आधार में कोई त्रुटि नहीं पाया जाता है। अतः आवटंन निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है , जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested